फर्द अहकाम

(नियम 26)

## अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
## जिला हनुमानगढ

## रोहिताष बनाम हनुमान सिंह आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 253 /2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---|---|---|
| 10.10.2023 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।<br>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है ।<br>अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 444/622 की कुल 4 खसरेजात की 11.3310 हैक्टेयर वादभूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय मुन्तकिल न करे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 10.11.2023 को पेश हो ।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नोहर (हनुमानगढ) | |
| 10/11/23 | पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब<br>अन्य कार्य में व्यस्त<br>पत्रावली दि० 23/1/24 को पेश हो | |
| 23/1/24 | पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब<br>अन्य कार्य में व्यस्त<br>पत्रावली दि० 18/3/24 को पेश हो | |
| 15/3/24 | वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेशी में [illegible] सायल [illegible] ने निवेदन किया [illegible] पत्र नहीं [illegible] कारण [illegible] कार्य सामने [illegible] दावा अप[illegible] प्रार्थनापत्र नहीं चलाई [illegible] किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो<br>[signature]<br>उपखण्डाधिकारी (राजस्व)<br>नोहर (हनुमानगढ) | रोहिताश सिंह<br>[illegible]<br>[signature] 15/3/24 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:54 IST
Reason: SelfAttested